न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी :सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 37/2021 राजस्व अपील

1. लक्ष्मण पुत्र हरिराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम दिवाकर उप तहसील बहरावण्डा तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार बहरावण्डा तहसील सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

(अपील विरूद्व निर्णय उपतहसीलदार उप तहसील बहरावण्डा निर्णय दिनांक 6.11.2020 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम लक्ष्मण मुकदमा संख्या 5/2020 अन्तर्गत धारा 91 राज. लैण्ड रेवेन्यू एक्ट)

उपस्थिति : श्री अजय तिवाडी, अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांकः 29.04.2024

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का बहरावण्डा द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट लक्ष्मण पुत्र हरिराम निवासी ग्राम दिवाकर तहसील सिकराय जिला दौसा ने ग्राम दिवाकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 117 रकबा 0.01 है. पर सम्वत 2077 में अतिक्रमण कर रखा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही एक पक्षीय कार्यवाही कर निर्णय जेर अपील दिनांक 6.11.2020 पारित कर अपीलान्ट को 90 दिन के सिविल कारावास की सजा व विवादित आराजी से बेदखल कर लगान दर्ज कर 50 गुणा शास्ति राशि की सजा आरोपित की है। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 6.11.2020 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून नियम, उप नियम के खिलाफ होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य सबूत का पूर्ण अवसर नहीं देकर कानून के सामान्य सिद्धान्तो की अवहेलना कर निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट ने किसी भी गै.मु. रास्ते की जमीन पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। पटवारी हल्का ने भी अपनी रिपोर्ट में अंकित नहीं किया है कि अपीलान्ट ने कौनसे रास्ते पर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को पटवारी हल्का से जिरह का कोई अवसर नहीं दिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुये निर्णय दिनांक 06.11.2020 पारित किया है ,जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज व प्रलेख नहीं है जिससे अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना जावे। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपीलान्ट का वर्तमान में किसी भी राजकीय भूमि अतिक्रमण नहीं होना व्यक्त करते हुये अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा के निर्णय दिनांक 6.11.2020 को निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट अतिक्रमी द्वारा ग्राम दिवाकर तहसील बहरावण्डा स्थित सिवायचक भूमि किस्म गै. मु. रास्ता खसरा नम्बर 117 रकबा 0.0100 है. पर कब्जा पडत कर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस जारी किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 6.11.2020 को बेदखल कर 50 गुणा शास्ति कायम कर 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट द्वारा ग्राम दिवाकर तहसील बहरावण्डा स्थित सिवायचक भूमि किस्म गै. मु. रास्ता खसरा नम्बर 117 रकबा 0.0100 है. पर कब्जा पडत कर अतिक्रमण किये जाने पर धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा बहस में अपीलान्ट का किसी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं होना व्यक्त किया गया है, तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने सम्बन्धित दस्तावेज संलग्न नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट इस आशय के साथ आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि ग्राम दिवाकर तहसील बहरावण्डा स्थित सिवायचक भूमि किस्म गै. मु. रास्ता खसरा नम्बर 117 रकबा 0.0100 है. पर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण हटा लिया जाना एवं भविष्य में अतिक्रमण नहीं किये जाने बाबत् तहसीलदार बहरावण्डा के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत करने एवं तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा शपथ पत्र सत्यापित किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 06.11.2020 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा स्थिति में सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश दिनांक 06.11.2020 यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार कर जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ट लेख भण्डार की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.05.07 19:21:07 IST
Reason: SelfAttested

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय आज दिनांक 29.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा